कार्यालय जिलाधिकारी, हाथरस।

पत्रांकः 386 /न्याय सहा0–कोविड–19/2020 दिनांक : 03 मई, 2020

आदेश

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह(गोपन), अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र सं0–381/2020/सीएक्स–3 दिनांक 03 मई 2020 के द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश सं0–40–3/2020–डीएम–1 (ए) दिनांक 01 मई 2020 कोविड–19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक 04.05.2020 से दो सप्ताह तक प्रभावी रहने के क्रम में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। जनपद हाथरस में उक्त दिशा–निर्देश निम्नवत् लागू होंगे :–

निम्नलिखित गतिविधियाँ दो सप्ताह तक 04 मई 2020 से दिनांक 17 मई 2020 तक पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी :–

1- यात्री रेलों का आवागमन।
2- अन्तर्राज्यीय बस परिवहन।
3- लोगों का अन्तर्राज्यीय आवागमन, सिवाय चिकित्सकीय कारण अथवा गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत गतिविधि हेतु आवागमन को छोड़कर।
4- समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि, यद्यपि ऑन लाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति दी जा सकती है।
5- सत्कार सेवाएं (Hospitality Services), सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में, लायी जा रही हों, अथवा लॉकडाउन के कारण फंसे हुए टूरिस्टों हेतु अथवा क्वारन्टाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हों।
6- समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, तरण–ताल (Swiming Pool), मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान।
7- समस्त सामाजिक/ राजनैतिक / खेल/ मनोरंजन / शैक्षिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम /अन्य सामूहिक गतिविधियां।
8- समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगें। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगें।
9- जनपद में साइकिल रिक्शा/ऑटो रिक्शा/टैक्सी/कैब सर्विसेज आदि सेवाऐं निषिद्ध रहेंगीं।

जन सामान्य की सुरक्षा एवं सुविधा के सम्बन्ध में उपाय :–

1- गैर आवश्यक गतिविधियां हेतु जनसामान्य का आवागमन सायं 07.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक निषिद्ध रहेगा।
2- समस्त जोन में 65 वर्षीय से अधिक आयु के व्यक्ति, सह–रुग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से

नीचे के बच्चे घरो के अन्दर ही रहेंगें, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताऐं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हों।

3- कन्टेन्मेंट जोन में ओ0पी0डी0 और चिकित्सा क्लीनिकों को खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यद्यपि ऑरेन्ज एवं ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य बचाव हेतु सुरक्षा सावधानियों के अपनाने की स्थिति में अनुमति, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन्स के आधार पर अनुमन्य रहेगी।

शासन स्तर से जारी किये गये Criteria के अनुसार जनपद हाथरस को निम्नांकित जोन में विभक्त किया जाता है :–

1- सम्पूर्ण नगर क्षेत्र हाथरस ऑरेन्ज जोन रहेगा।

2- जनपद का शेष नगरीय क्षेत्र एवं सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र ग्रीन जोन रहेगा।
(उपरोक्त वर्गीकरण केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार किये गये परिवर्तन/संशोधन के अधीन रहेगा)

जनपद में निम्नलिखत गतिविधियाँ नीचे उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ निम्नानुसार संचालित होंगी :–

1- केवल ऐसे व्यक्तिगत/वाहनों के परिचालन जिन्हें इस हेतु अनुमति प्रदान की गई हो, चार पहिया वाहनों में अधिकतम दो यात्री (ड्राइवर के अतिरिक्त), दो पहिया वाहनों में केवल एक व्यक्ति (पीछे की सीट पर बैठाकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी)।

2- शहरी/नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिनमें केवल Industrial Estate और Industrial Township शामिल हैं, को आवाजाही पर नियंत्रण (access control) के साथ, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई, जिनमें दवा औषधि, चिकित्सकीय उपकरण तथा इनके कच्चे माल व अन्तरवर्ती निर्माण सामग्री शामिल है, ऐसी उत्पादन इकाईयां जिनका शतत् चलना आवश्यक हो, और उनकी सप्लाई चेन, आईटी हार्डवेयर का उत्पादन; जूट उद्योग (भीड़ इकट्ठा न होने देने के लिए अलग–अलग शिफ्ट व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए) और पैकेजिंग मैटेरियल से सम्बन्धित उत्पादन की इकाईयों को चलने की अनुमति होगी।
औद्योगिक इकाईयों के संचालन के दौरान सामाजिक/शारीरिक दूरी बनाये रखने के सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 द्वारा निर्धारित स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का अनुपालन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाएगा :–

1– समस्त कार्यालयों, कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जाने होंगें :–

परिसर के सभी क्षेत्रों सहित निम्नांकित स्थानों को उपयोगकर्ता हेतु हानिरहित कीटाणुनाशक का उपयोग करके पूर्ण रुप से विसंक्रमित किया जाएगा–

i. भवन, कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार।

ii. कैफेटेरिया तथा कैन्टीन।
iii. सभाकक्ष, सम्मेलन हॉल/खुला क्षेत्र/बरामदा/प्रवेश द्वार स्थल, बंकर, पोर्टा केबिन, भवन आदि।
iv. समस्त उपकरण और लिफ्ट।
v. वाशरूम, टॉयलेट सिंक, वॉटर पॉइंट आदि।
vi. समस्त दीवारें/अन्य सतहें।

2– 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में बाहर से आने वाले कर्मियों/श्रमिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर किसी प्रकार की निर्भरता के बिना विशेष परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों को केवल 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

3– परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी पर कीटाणुनाशन स्प्रे के माध्यम से अनिवार्यरूप से विसंक्रमित किया जाएगा।

4– कार्यस्थल पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्केनिंग अनिवार्य होगी।

5– कर्मियों/श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाएगा।

6– हाथ धोने और सैनेटाइजर के लिए व्यवस्था की जाएगी, जो स्पर्श मुक्त तंत्र को वरीयता के साथ सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाएगा। सभी वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

7– कार्य स्थलों में दो पारियों (Shift) के बीच एक घंटे का अन्तर होगा और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा दोपहर के भोजन को पृथक एवं निलम्बित रूप से किया जाएगा।

8– 10 या अधिक प्रतिभागियों की बड़ी सभाओं की बैठकों को हतोत्साहित किया जाएगा। कार्य स्थलों एवं सभाओं, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में सम्बन्धित व्यक्ति एक–दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे।

9– दो या चार से अधिक व्यक्तियों (लिफ्ट के आकार के आधार पर) को लिफ्टों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

10– सीढ़ी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

11– गुटखा, तम्बाकू आदि पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा और थूकना पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेगा।

12– कार्यस्थलों पर गैर आवश्यक आंगतुकों पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

13– आस–पास के क्षेत्रों में कोविड 19 के रोगियों के उपचार के लिए अधिकृत चिकित्सालयों/क्लीनिकों को चिन्हित कर इनकी सूची हर समय कार्यस्थल पर उपलब्ध होनी चाहिए।

14– 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को संचालन से पूर्व अधिकतक 25 कर्मियों की सीमा के अधीन अपने कुल कर्मचारियों के रैंडम आधार पर कम से कम 5 प्रतिशत कर्मियों का आरटी–पीसीआर विधि से परीक्षण कराना होगा। उसके बार प्रत्येक 15 दिनों पर 5 प्रतिशत अथवा अधिकतक 10 कर्मियों का रैंडम आधार पर परीक्षण किया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक गतिविधियों/औद्योगिक गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रोटोकाल का कढाई से पालन किया जा रहा हैं एवं किसी भी प्रकार का वहां संक्रमण नहीं हो रहा है। टेस्टिंग की रिपोट मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

15– सभी प्रकार की इंडस्ट्री/फैक्ट्री के खुलने का समय प्रातः 08.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक रहेगा। मालिक व श्रमिकों की आपसी सहमति से कार्य की अवधि अधिकतम 02 घंटे बढाई जा सकती है। यह व्यवस्था आगामी 03 माह तक लागू रहेगी।

3- शहरी क्षेत्रों में अर्थात् नगर पालिका/नगर पंचायतों की सीमा के अन्दर मॉल/मार्केट कॉम्प्लेक्स आदि बन्द रहेंगे।

4- शहरी क्षेत्रों में समस्त एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान), कॉलोनी के अन्दर की दुकाने और आवासीय परिसर के अन्दर की दुकानों के खुलने की अनुमति होगी, जिसमें आवश्यक, गैर आवश्यक सेवा/वस्तु इत्यादि का भेद नहीं किया जाएगा। उक्त दुकानें खुलने का समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक रहेगा।

5- ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर समस्त दुकानों (essential) एवं गैर–आवश्यक (non-essential) को खुलने की अनुमति रहेगी। उक्त दुकानें खुलने का समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक रहेगा।

6- शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक खुलने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

यह व्यवस्था ऑरेन्ज एवं ग्रीन जोन में भी इसी प्रकार से लागू होगी।

7- केवल आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में e-commerce गतिविधियों की अनुमति होगी।

8- निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कार्यक्षमता के साथ खोले जा सकते हैं, शेष को घर से ही कार्य (work from home) की सुविधा दी जाएगी।

9- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां निर्धारित प्रतिबन्धों के साथ शुरू किये जाने की अनुमति रहेगी।

10-ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के निर्माण कार्य अनुमन्य रहेंगे। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित सामान/सामग्री की दुकानें निर्धारित प्रतिबन्धों के साथ खुलने की अनुमति रहेगी।

11-सब्जी मण्डियों में आवक/आपूर्ति का समय प्रातः 07.00 से 10.00 बजे तक रहेगा तथा खुदरा बिक्री का समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक रहेगा। उक्त गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग आदि का अनुपालन अनिवार्य होगा।

12-कन्टेन्मेंट (हॉटस्पाट) एरिया में पंजीकृत डाक्टर/क्लीनिक चिकित्सा विभाग के मानकों के अनुरूप एवं सुरक्षा उपाय व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए ओ0पी0डी0 प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक अनुमन्य रहेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित चिकित्सालयों द्वारा प्रदत्त इमरजेंसी सेवाऐं सुचारू रहेंगीं।

13-माल/वस्तुओं के परिवहन जिनमें खाली ट्रक भी सम्मिलित हैं के अन्तर्राज्यीय/जनपदीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी।

उपरोक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा एवं अपरिहार्य परिस्थतियों में उक्त आदेश में आवश्यक संशोधन किये जा सकते हैं अथवा वापस लिया जा सकता है।

उपरोक्त समस्त गतिविधियों के संचालन में निर्धारित प्रतिबन्धों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा–188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(प्रवीण कुमार लक्षकार)
जिलाधिकारी, हाथरस।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1- अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़/पुलिस उप महानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़।
3- स्टाफ ऑफीसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
4- पुलिस अधीक्षक, हाथरस।
5- मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस।
6- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), हाथरस।
7- समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद–हाथरस।
8- जिला सूचना अधिकारी हाथरस को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त का जनपद में प्रकाशित समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।

03/05
जिलाधिकारी, हाथरस।